(156

बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार विशेष सुरक्षा दल विधेयक, 2000

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2000

बिहार विशेष सुरक्षा दल विधेयक, 2000

विषय-सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. सदस्यों का इस अधिनियम के अध्यधीन होना ।
4. दल का गठन ।
5. नियंत्रण निदेशन आदि ।
6. सेवा करने का दायित्व ।
7. दल के सदस्य सदैव सक्रिय सेवा पर होंगे ।
8. पद से त्यागपत्र और प्रत्याहरण ।
9. संगठन बनाने का अधिकार, वाक् स्वातंत्र्य आदि का निर्बन्धन ।
10. सेवा का समापन ।
11. अपील ।
12. आरक्षी अधिनियम का लागू किया जाना ।
13. दल के सदस्यों को प्रदेय शक्ति एवं कर्त्तव्य ।
14. दल के लिये सहायता ।
15. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिये परित्राण ।
16. नियम बनाने की शक्ति ।
17. आदेश और नियमों का उपस्थापन ।

बिहार विशेष सुरक्षा दल विधेयक, 2000

बिहार के मुख्य मंत्री, उनके अव्यवहित परिवार के सदस्यों, बिहार के पूर्व मुख्य-मंत्रियों को आसन्न सुरक्षा उपबन्धित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये राज्य आरक्षी संगठन के अन्तर्गत सशस्त्र बल के गठन एवं विनियमन के लिए विधेयक।

भारत-गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(क) "सक्रिय सेवा" दल के सदस्य के सम्बन्ध में 'सक्रिय सेवा' से अभिप्रेत है मुख्य मंत्री, उनके अव्यवहित परिवार के सदस्यों तथा बिहार के पूर्व मुख्य मंत्रियों, की सुरक्षा के लिये पदस्थापन की अवधि में उन सदस्यों के रूप में कोई सेवा ;

(ख) "समादेष्टा" से अभिप्रेत है धारा—5 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त दल का समादेष्टा ;

(ग) "दल' से अभिप्रेत है धारा—4(1) के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल;

(घ) "दल का सदस्य" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा दल में नियुक्त किया गया व्यक्ति ;

(ङ) "अव्यवहित परिवार के सदस्यों" से अभिप्रेत है पत्नी, पति और बच्चे

(च) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित ;

(छ) "आसन्न सुरक्षा" से अभिप्रेत है सड़क, रेल; वायुयान, जलयान या पैदल या परिवहन के अन्य साधनों से यात्रा के दौरान, जिसमें समारोह स्थल, आबन्ध, आवास या ठहराव भी सम्मिलित है, समीप से सुरक्षा प्रदान करना, तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित होगा उस व्यक्ति या उसके अव्यवहित परिवार के सदस्यों के इर्द-गिर्द वलयाकार घेरा, पार्श्वक्य घेरे, इर्द-गिर्द खाली क्षेत्र तथा मंच एवं पहुंच मार्ग में नियंत्रण रखना।

(ञ) इस अधिनियम में प्रयुक्त ऐसे सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है, किन्तु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं उनसे क्रमशः वही अभिप्रेत होगा जो उनके लिये उस संहिता में दिये गये हैं।

3. सदस्यों का इस अधिनियम के अध्यधीन होना।—इस दल का हरेक सदस्य, जहां कहीं भी हो, इस अधिनियम के अध्यधीन होंगा।

4. दल का गठन।—(1) इस धारा की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आसन्न सुरक्षा उपबन्धित करने के लिये विशेष सुरक्षा दल नामक राज्य का एक सशस्त्र बल होगा।

(2) विशेष सुरक्षा दल—

(क) मुख्य मंत्री,

(ख) मुख्य मंत्री के अव्यवहित परिवार, और

(ग) पूर्व मुख्य मंत्रियों को उनके द्वारा पदत्याग किये जाने के बाद पांच वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित आगे की अवधि तक आसन्न सुरक्षा प्रदान करेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन दल का गठन यथाविहित रीति से किया जायेगा और दल के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो यथा विहित की जायेंगी।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस राज्य के आरक्षी बल का कोई व्यक्ति या कोई सदस्य की इस दल में नियुक्ति राज्य सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जा सकेगी तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान दल का सदस्य माना जायगा एवं इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति या सदस्य पर ही लागू होंगे।

5. नियंत्रण, निदेशन आदि।—(1) दल का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा और उसके द्वारा ही प्रयुक्त होगा तथा उसके और इस अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन, इस दल का पर्यवेक्षण आरक्षी महानिदेशक और महानिरीक्षक में निहित होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा एक पदाधिकारी इस दल का समादेष्टा नियुक्त किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में समादेष्टा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथा नियुक्त उप-समादेष्टाओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जायेगी।

6. सेवा करने का दायित्व।—दल के हरेक सदस्य को बिहार राज्य के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व होगा।

7. दल के सदस्य सदैव सक्रिय सेवा पर होंगे।—छुट्टी या निलम्बन में नहीं रहने पर दल का हरेक सदस्य, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनार्थ, सदैव सक्रिय सेवा पर रहेगा और किसी समय किसी रीति से नियोजित एवं अनियोजित किया जा सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दल के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों से संगत हो।

8. पद से त्यागपत्र और प्रत्याहरण।—दल के किसी भी सदस्य को यह स्वतंत्रता नहीं होगी कि—

(क) अपनी कार्य-नियुक्ति की अवधि के दौरान अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे, या

(ख) विहित प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमति के बिना अपनी नियुक्ति के समस्त या किसी कर्त्तव्यों से अपना प्रत्याहरण करे।

9. संगठन बनाने के अधिकार, वाक् स्वातंत्र्य आदि का निर्बन्धन।—(1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी के लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना दल का कोई सदस्य—

(क) किसी ट्रेड यूनियन, मजदूर यूनियन, राजनीतिक संगठन या ट्रेड यूनियनों, मजदूर यूनियनों या राजनीतिक संगठन के किसी वर्ग का न तो सदस्य होगा और न किसी तरह उनसे संबद्ध होगा, या

(ख) किसी ऐसी सोसाइटी, संस्था, संघ या संगठन का सदस्य होगा या उससे संबद्ध होगा जो विशुद्ध सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक स्वरूप का न हो, या

(ग) न तो प्रेस के साथ पत्राचार करेगा और न कोई पुस्तक प्रकाशित करेगा या करवायेगा, केवल उस स्थिति को छोड़कर, जब ऐसा पत्राचार या प्रकाशन उसके निष्कपट कर्त्तव्यों के पालन या पूर्णतः साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप या विहित प्रकार का हो।

स्पष्टीकरण—यदि कोई सोसायटी, संस्था, संघ अथवा संगठन खंड (ख) के अधीन पूर्णतः सामाजिक मनोरंजनात्मक या धार्मिक प्रकृति का है अथवा कोई पुस्तक, पत्र या दस्तावेज की संसूचना या प्रकाशन उसके निष्कपट कर्त्तव्यों के पालन में है अथवा खंड (ग) के अधीन पूर्णतः साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति अथवा विहित स्वरूप का हो, तो इससे संबद्ध राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) दल का कोई सदस्य किसी राजनीतिक प्रयोजन अथवा ऐसे किसी अन्य प्रयोजनों के लिये जैसाकि विहित किया जाय किसी व्यष्टि निकाय द्वारा आयोजित किसी सभा या प्रदर्शन में न तो संबोधित करेगा और न भाग लेगा।

10. सेवा का समापन।—विहित प्राधिकार लिखित आदेश द्वारा लोकहित में दल के किसी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगा और ऐसा समापन पूर्ण-रूपेण सेवा मुक्त करना समझा जायेगा तथा इसे बर्खास्तगी या सेवा से हटाये जाने के समान नहीं माना जायेगा।

11. अपील।—(1) धारा-10 के अध्यधीन पारित आदेश से व्यथित दल का कोई सदस्य ऐसे आदेश की तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार के द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) बोर्ड ऐसे विहित व्यक्तियों से गठित होगा।

(3) बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायलय या न्यायाधीकरण में चुनौती नहीं दिया जायेगा।

(4) बोर्ड की अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

12. आरक्षी अधिनियम का लागू किया जाना।—इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन बिहार आरक्षी अधिनियम के उपबन्ध सभी ऐसे पुलिस कर्मियों पर लागू होते रहेंगे जो इस दल के सदस्य हैं।

13. दल के सदस्यों को प्रदेय शक्ति एवं कर्त्तव्य।—राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों एवं परि-सीमाओं के अध्यधीन जैसाकि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दल के किसी सदस्य को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी शक्ति या कर्त्तव्यों का प्रयोग या पालन करें जैसाकि उस आदेश में विहित किया जाय।

14. दल के लिये सहायता।—राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, प्रत्येक स्थानीय या अन्य प्राधिकार या प्रत्येक सिविल प्राधिकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह समादेष्टा या दल के किसी सदस्य की सहायता जब कभी उसे ऐसा करने को कहा जाय ऐसे समादेष्टा या सदस्य के कर्त्तव्यों और दायित्वों को अग्रसर करने में करें।

15. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई के लिये परित्राण।—दल या उसका कोई ऐसा सदस्य जिसको इस अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं अथवा कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में

सद्भावपूर्वक की गयी या की गयी तात्पर्यित है या नहीं, की गयी तात्पर्यित है किसी बात के लिये अथवा इसके अधीन निर्गत कोई आदेश या बनाया गया कोई नियम अथवा निर्गत कोई आदेश अथवा एतद्धीन बनाया गया कोई नियम अथवा किसी ऐसे नियम के अधीन निर्गत किसी आदेश के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लायी जायेगी ।

16. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किसी एक बात का उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात:—

(क) जिस रीति में दल का गठन किया जायेगा और धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन इसके सदस्यों की सेवा के शर्त एवं बंधेज;

(ख) धारा-8, धारा-9, (1) तथा धारा 10 के अधीन विहित प्राधिकारी;

(ग) धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन संसूचना अथवा प्रकाशन की प्रकृति ।

(घ) राजनीतिक प्रयोजनों से भिन्न कोई अन्य प्रयोजन जिसके लिये कोई व्यक्ति धारा-9 की उप-धारा (2) के अधीन, इस अधिनियम के अध्यधीन किसी बैठक में भाग नहीं लेगा या उसे संबोधित नहीं करेगा अथवा किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

(ङ) ऐसी कोई अन्य बात जो विहित की गयी हो या की जा सके ।

17. आदेश और नियमों का उपस्थापन ।—धारा-13 के अधीन निर्गत प्रत्येक आदेश और धारा-16 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम निर्गत किये जाने या बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के सत्र में रहने पर उसके प्रत्येक सदन के समक्ष कुल मिलाकर तीस दिनों की कालावधि के लिये रखा जायेगा । यह कालावधि एक सत्र में या दो या दो से अधिक क्रमवर्त्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के जिसमें वह रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश या नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हो जाये या दोनों सदन सहमत हो जाय कि वह आदेश या नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह आदेश और नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा किन्तु इस प्रकार का ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलीकरण उस आदेश या नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

बि० स० मु० (विधि) 17 मोनो—500—20-7-2000—बा०सा० माथुर

वित्तीय संलेख

मुख्य मंत्री, भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको औपचारिक रूप देकर एक अलग सुरक्षा दल के रुप में आरक्षी महानिदेशक के अन्तर्गत सुसंगठित करने के निमित्त बनाए गए ।

बिहार विशेष सुरक्षा दल विधेयक, 2000 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु ईंधन और यात्रा व्यय पर क्रमशः 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये अर्थात् कुल 5 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है ।

(राबड़ी देवी)
भार-साधक सदस्य ।

उद्देश्य एवं हेतु

मुख्य मंत्री, उनके परिवार के सदस्यों एवं पूर्व मुख्य मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के निमित्त राज्य आरक्षी संगठन के अन्तर्गत एक विशेष सशस्त्र बल का गठन आवश्यक समझा गया है।

तद्नुसार इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान किया गया है, जिसे अधिनियमित कराना इस विधेयक का अभीष्ट है।

(राबड़ी देवी)

भार साधक सदस्य।